



भारत सरकार /Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग /Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र/Variable Energy Cyclotron Centre
सीएचएसएस अनुभाग/CHSS Section

1/ए.एफ., बिधान नगर/Bidhan Nagar,
कोलकाता/Kolkata-700064

सं/No.वीईसीसी/VECC/सीएचएसएस/CHSS/2023/ 785

मई/May 2, 2023

03

पृष्ठांकन/ENDORSEMENT

विषय : मुख्य लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए सीएचएसएस नियमों के तहत नामांकन प्रावधान के संबंध में।

Sub : Nomination provision under CHSS Rules for claiming medical reimbursement in the event of death of prime beneficiary-reg.

उपरोक्त विषय पर परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 28.04.2023 के परिशिष्ट संख्या 7/14/2022/IR&W/Vol.II/5638 की एक प्रति सूचनार्थ एतद द्वारा अग्रेषित की जाती है।

A copy of DAE Office Memorandum No.7/14/2022/IR&W/Vol.II/5638 dated 28.04.2023 on the above mentioned subject is forwarded herewith for information and necessary compliance please.

Kanth 02/05/2023

(वी.एस.एन.वी.आर. कृष्ण कान्त/

V.S.N.V.R. Krishna Kanth)

सहायक कार्मिक अधिकारी (सीएचएसएस)/

Asstt. Personnel Officer (CHSS)

संलग्न यथोपरि

Encl: As above.

वीईसीसी के सभी सीएचएसएस लाभार्थी - नोटिस बोर्ड और वीईसीसी वेबसाइट के माध्यम से।
All CHSS beneficiaries of VECC – through Notice Boards & VECC Website.

Copy to :-

- निदेशक का कार्यालय, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Director's Office, VECC, Kolkata.
- सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/
Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC, Kolkata.
- वी.ई.सी.सी., कोलकाता स्थित प.ऊ.वि. की अन्य इकाइयों के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख/
Heads of Groups/Divisions/Sections of other DAE Units stationed at VECC, Kolkata.
- वेतन एवं लेखा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Pay & Accounts Officer, VECC, Kolkata.
- प्रशासनिक अधिकारी, आरआरएससी-ईस्ट, ईसरो, न्यू टाउन, कोलकाता-700163/Administrative Officer, RRSC-East, ISRO, New Town, Kolkata-700163.
- उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Dy. Chief Security Officer, VECC, Kolkata.

7. सहायक निदेशक (राभा), वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Asstt. Director (OL), VECC, Kolkata.
8. क्रय अधिकारी, सी.आर.पी.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata.
9. भंडार अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Stores Officer, CRSU, DPS, Kolkata.
10. सहायक लेखा अधिकारी, सी.आर.ए.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Assistant Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata.
11. प्रभारी अधिकारी, एएमडी, कोलकाता/Office-in-Charge, AMD, Kolkata.
12. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल (क्यूएस), कोलकाता/Office-in-Charge, NPCIL (QS), Kolkata.
13. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन/Secretary, VECC, Staff Association.
14. सचिव, अणुशक्ति, डॉ.बी.आर. अंबेदकर, एस.सी./एस.टी. कर्मचारी कल्याण संगठन, वीईसीसी /Secretary, Anushakti, Dr. B. R. Ambedkar, SC/ST Employees Welfare Association,VECC.



सत्यमेव जयते

(☎022-22862703)

ई-मेल/c-mail:

irw@dac.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग

C.S.M. Marg,

मुंबई

Mumbai - 400 001

सं.क्र 7/14/2022/IR&W/Vol.II/ 5698

अप्रैल 28, 2023

कार्यालय जापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : मुख्य लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए सीएचएसएस नियमों के तहत नामांकन प्रावधान के संबंध में
Subject : Nomination provision under CHSS Rules for claiming medical reimbursement in the event of death of prime beneficiary – regarding

विभाग ने कार्यालय जापन संख्या 7/2/2014/आईआर एंड डब्ल्यू/236 दिनांक 03/07/2015 के माध्यम से उक्त कार्यालय जापन के पैरा (2) के अनुसार सीएचएसएस कार्यालय को नामांकन फॉर्म अग्रेषित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है।

Department vide OM No. 7/2/2014/IR&W/236 dated 03/07/2015, has laid down the procedure for forwarding a nomination form to CHSS Office as per para(2) of the said OM.

2. मुख्य लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में जब देय प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए कोई नामांकन मौजूद नहीं है, तब चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने के प्रावधानों के संबंध में विभाग से राय मांगी गई है।

Reference has been received in the Department pertaining to provisions for claiming reimbursement of medical expenses in the event of death of the prime beneficiary when no nomination exists for claiming reimbursement due.

3. सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर विभाग में सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि पीएफ/एनपीएस के अनुसार नामांकन को सीएचएसएस के लिए नामांकन माना जाएगा।

After careful consideration in the Department, based on the recommendations of the CHSS Review Committee, it has now been decided that nominations as per PF /NPS shall be considered as nomination for CHSS.

4. यह कार्यालय ज्ञापन इसे जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा।

This OM will be effective from the date of issue.

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

अजीता
22/4/2023
(अजीता थरियन Ajitha Thariyan)

अवर सचिव (आईआरएंडडब्ल्यू) Under Secretary (IR&W)

सीएचएसएस के सभी प्रशासनिक प्राधिकारी/इकाई प्रमुख/इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख
All CHSS Administering Authorities /Head of Units/Administrative Heads of Units

प्रतिलिपि Copy to:

अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय

O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE

संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय

O/o JS(A&A), DAE

परमाणु ऊर्जा विभाग दर्पण

DAE Darpan